REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 9 | JUNE - 2025

छत्तीसगढ़ में राज्य प्रवर्तित कृषि योजनाएँः एक अध्ययन

हरीश कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग

डॉ. काजोल दत्ता
(सहायक प्राध्यापक)
शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग, भारती विश्वविद्यालय दुर्ग

शोध सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि उसी तरह बुनियादी जरूरत है जैसे मानव शरीर के लिए रीढ़। रीढ़ जितनी मजबूत होगी शरीर उतना ही तना होगा। ठीक इसी प्रकार कृषि जितनी मजबूत होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही बेहतर स्थिति में होगी। एक विशाल जनसंख्या वाले भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो बल्कि सभी नागरिकों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध करा सकने में भी सक्षम हो। जाहिर सी बात है कि यह तभी होगा जब कृषि उन्नत दिशा में होगी।

छत्तीसगढ़ में राज्य प्रवर्तित कृषि योजनाओं का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य ''छत्तीसगढ़ में राज्य प्रवर्तित कृषि योजनाएँः एक अध्ययन'' का अध्ययन कर योजना की कमियों और विकास को रेखांकित कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ पर आधारित है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवं ़द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी—कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास के पंचतत्व, कृषि आदान, कृषि योजनाएँ, उत्पादकता.

प्रस्तावना

राष्ट्र की कृषि के व्यवस्थित एवं सुदृढ़ विकास के लिए भारत सरकार ने सन् 1871 में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना की। सन् 1871—1885 के मध्य प्रांतीय स्तर पर कृषि विभाग की स्थापना की गई। राष्ट्र में कृषि महाविद्यालय 1905 में पूणे तथा 1906 में कोयम्बटूर में स्थापित किये गए।

सन् 1921 में देश की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग को देश में ''कृषि की उन्नति एवं ग्रामीणों में ़समृद्धि'' विषय पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन् 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव दिए जो कृषि अनुसंधान, फसलोत्पादन, पशुपालन, वन विकास, मछलीपालन, सहकारिता, ग्राम विकास, कृषि साख (वित्त), संचार व्यवस्था, कृषि बाजार व्यवस्था, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित थे।

आदिकाल से ही कृषि प्रदेशवासियों की जीवन पद्धति एवं संस्कृति रही है। कृषि से जुड़े तीज त्यौहारों को आज भी ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। कृषि में सबसे अधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता है। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है। ''भविष्य की कृषि, हरित अर्थव्यवस्था एवं जैविक खेती पर निर्भर होगी।'' अतः राज्य की कृषि एवं कृषि के सहायक व्यवसायों के विकास के लिए सुस्पष्ट नीति का होना आवश्यक है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन सविचार निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन में स्तरीकृत दैव निदर्शन विधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि क्षेत्र का चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक डाटा का प्रयोग गया है तथा आवश्यकतानुसार द्वितीयक स्त्रोतों से भी जानकारी संकलित की गई है।

शोध साहित्यों का पुनरावलोकन

1. **सिंह, वर्मा और बाबू (2002)** द्वारा किए गए अध्ययन में 1999–2000 से 2001–02 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के सोरांव ब्लॉक में मुख्य फसलों और दूध उत्पादन उद्यमों पर दिए गए ऋण के प्रभाव के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि उधार लेने के बाद की स्थितियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए गए ऋण अग्रिमों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई यानी खेतों में विभिन्न आकार समूहों पर आय रोजगार के स्तर में।
2. **सोमल (2002)** ने पश्चिम बंगाल में ऋण प्रवाह का अध्ययन करने का प्रयास किया था। इस अध्ययन में यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर पर भी ऋण का प्रवाह बढ़ गया है। नए संस्थानों के साथ ग्रामीण ऋण वितरण संरचनाओं को मजबूत करके कृषि और अन्य ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्रों मे ऋण का विस्तार करने के लिए सजग प्रयाग किए गए हैं।
3. **सतीश (2002 ए)** ने देखा कि कृषि और ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के विकास में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन और कार्यान्वयन में राज्य की भागीदारी महंगी और अक्षम साबित हुई थी। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम और अप्रत्यक्ष होना चाहिए।

शोध का उद्देश्य

- » राज्य की कृषि प्रणाली को सुगम बनाने के लिए राज्य प्रवर्तित कृषि योजनाओं के योगदान का अध्ययन करना।
- » वर्तमान में संचालित कृषि योजनाओं का भविष्य की सार्थकता का अध्ययन करना।
- » कृषि क्षेत्र में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- » राज्य प्रवर्तित कृषि योजनाओं का स्थानीय किसानों तक सुलभ पहुँच का अध्ययन करना।
- » कृषि के क्षेत्र में हुए नवाचारों का अध्ययन करना।

कृषि विकास के पंचतत्व

1. भू–स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षित प्रबंधन एवं उपयोग के साथ जल एवं सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष बल
2. कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में उन्नयन कर कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।
3. समय पर कृषि आदान एवं ऋण की व्यवस्था
4. कटायोत्तर प्रबंधन के साथ समेकित खाद्य प्रसंस्करण का विकास

5. तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण में प्रयोगशाला से खेत की खाई को कम करना।

राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम एवं योजनाएँ–

1. फसल प्रदर्शन योजना

1.1 श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता वर्धन–

योजना का उद्देश्य–

- श्री विधि से धान की खेती करने पर रोपणी तैयार करने तथा रोपाई करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना।
- किसानों को धान की उन्न्त कास्त विधि 'SRI (System of Rice Intensification)' को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- धान की उत्पादकता वर्धन (Productivity Enhancement)करना।
- कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- कृषि विस्तार सेवाओं को किसानोन्मुखी बनाना।

1.2 द्विफसली क्षेत्र विस्तार हेतु रबी फसल प्रदर्शन

योजना का उद्देश्य–

- किसानों को दो फसलीय खेती के लिए प्रोत्साहित करना।
- रबी फसलों के उन्नत कृषि तकनीक अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर रबी फसलों की उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना।

1.3 ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का फसल को प्रोत्साहन

योजना का उद्देश्य–

- ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन, मक्का फसल के क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देना।
- गिरते भू–जल स्तर को रोकने का प्रयास करना।
- प्रदेश में मक्का, दलहन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि।

1.4 पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान

योजना का उद्देश्य

- प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करना तथा रोपाई के रकबे में वृद्धि
- कृषि श्रमिकों की समस्या से निदान
- बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में सुगमता
- उत्पादन में वृद्धि

2. किसान समृद्धि योजना

योजना का उद्देश्य

- प्रदेश में उपलब्ध भू–जल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि करना।
- कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान देना।

3. कृषक समग्र विकास योजना

योजना का उद्देश्य

- धान, दलहन, तिलहन व नगदी फसलों के उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित व शंकर बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- साधनहीन किसानों को अदला—बदली के आधार पर प्रमाणित बीजों को प्रदान करना।
- बीजोत्पादन को व्यवसाय के रूप में स्थापित करना।
- बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि
- गन्ना बीज परिवहन पर अनुदान उपलब्ध कराना।
- पौध संरक्षण यंत्र व अन्य कृषि उपकरण का अनुदान पर प्रदाय
- जीवंत प्रदर्शन व प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को कृषि की अद्यतन तकनीकी का प्रदाय
- जैविक खाद के क्षेत्र में किसानों को स्वावलंबी बनाना।

4. कृषि श्रमिकों का दक्षता उन्नयन

योजना का उद्देश्य

- कृषि के विभिन्न क्रियाकलापों के सम्पादन में उग्र मानव श्रम की आवश्यकता होती है। कृषि मजदूरों को मजदूरी भी अन्य कार्यों की तुलना में कम प्राप्त होती है। अत्यंत अल्प अवधि में बड़े क्षेत्र में कृषि कार्य सम्पन्न कराना होता है। अतः कृषि कार्यों में लगे मजूदरों को श्रम को श्रम साध्य बनाने एवं अल्प अवधि में विभिन्न कृषि कार्यों को सहज एवं सरल बनाने में कृषि औजारों, यंत्रों एवं उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- राज्य में कृषि कार्य ठेका पद्धति से किया जाता है। ठेका में काम करने वाले मजदूरों के समूह का आकार सामान्यतया 10 मजदूरों का होता है। इन मजदूरों के समूह की क्षमता बढ़ाने एवं कृषि कार्य को सरल एवं श्रम साध्य बनाने हेतु कृषि औजार, यंत्र एवं उपकरण के किट का निःशुल्क वितरण किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- कृषक मजदूर समूह को प्रदाय की जाने वाली उपकरणों की सूची—

क्र.	यंत्र का नाम	प्रति किट में शामिल अधिकतम संख्या
1.	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	2
2.	मार्कर	2
3.	अंबिकापैडी वीडर/रोजरी वीडर	10
4.	सइकिल व्हील हो	10
5.	सीड ट्रिटिंग ड्रम	1
6.	उन्नत कांटेदार हंसिया	10
7.	हैण्ड/फुट स्प्रेयर	3
8.	पॉवर स्प्रेयर	1
9.	डोरा	2
10.	मक्का छीलक यंत्र	10
11.	फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर	2

5. शाकम्भरी योजना

योजना का उद्देश्य

- लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए स्वयं सिंचाई संसाधन विकसित करना

- किसानों को पंप एवं कूप निर्माण हेतु अनुदान प्रदान कर सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना।

6. कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना

योजना का उद्देश्य

- प्रदेश में उन्नत कृषि मशीनों/यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन।
- आर्थिक रूप से पिछड़े किसान जो प्रत्येक कृषि कार्य हेतु पृथक मशीन/यंत्र क्रय करने में असमर्थ हैं, उन्हें किराए पर उन्नत कृषि मशीनें/यंत्र उपलब्ध कराना।
- निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।
- राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर में वृद्धि के साथ श्रम एवं समय की बचत
- फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार।
- ग्रामीण स्तर पर किसानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

7. जैविक खेती मिशन

योजना का उद्देश्य

- राज्य में जैविक खेती द्वारा लागत में कमी एवं टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करना
- प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देना
- जैविक उत्पादन प्रणाली में कृषकों का क्षमता विकास

8. राजीव गांधी किसान न्याय योजना

योजना का उद्देश्य

- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
- फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ।
- फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना
- कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।
- कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना।
- किसानों को फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय लाभ हस्तांतरण।

9. संयुक्त देयता समूह (JLG)

योजना का उद्देश्य

- संयुक्त देयता समूहों को प्रोत्साहन ऋण अनुदान प्रदान करना।

10. कृषक प्रशिक्षण

योजना का उद्देश्य

- कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण देना।

11. खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना

योजना का उद्देश्य

- कृषकों को खलिहान अग्नि दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ पहुँचाना।

12. लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण

योजना का उद्देश्य

» सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना।
» योजनांतर्गत 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाबों का निर्माण शत–प्रतिशत शासकीय व्यय पर किया जाता है।

आंकड़ों का विश्लेषण

1. हितग्राहियों के द्वारा जैविक खेती करने की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 1ः हितग्राहियों केद्वारा जैविक खेती करने की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	हितग्राहियों केद्वारा जैविक खेती करने की स्थिति का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	23	38.33
2.	नहीं	37	61.67
3.	जैविक खेती की जानकारी नहीं है	0	0
	योगः–	**60**	**100**

स्त्रोतः प्राथमिक शोध सर्वेक्षण

उपर्युक्त तालिका क्र. 1 एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों केद्वारा जैविक खेती करने की स्थिति का विवरण को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक शोध सर्वेक्षण के दौरान कुल 60 में से केवल 23 (38.33%) हितग्राही जैविक खेती करते पाए गए जबकि 37 (61.67%) हितग्राही जैविक खेती नहीं करते हैं। ऐसे कोई हितग्राही नहीं पाये गये जिन्हें जैविक खेती की जानकारी नहीं है अर्थात् शत–प्रतिशत हितग्राहियों को जैविक खेती के बारे मे जानकारी है।

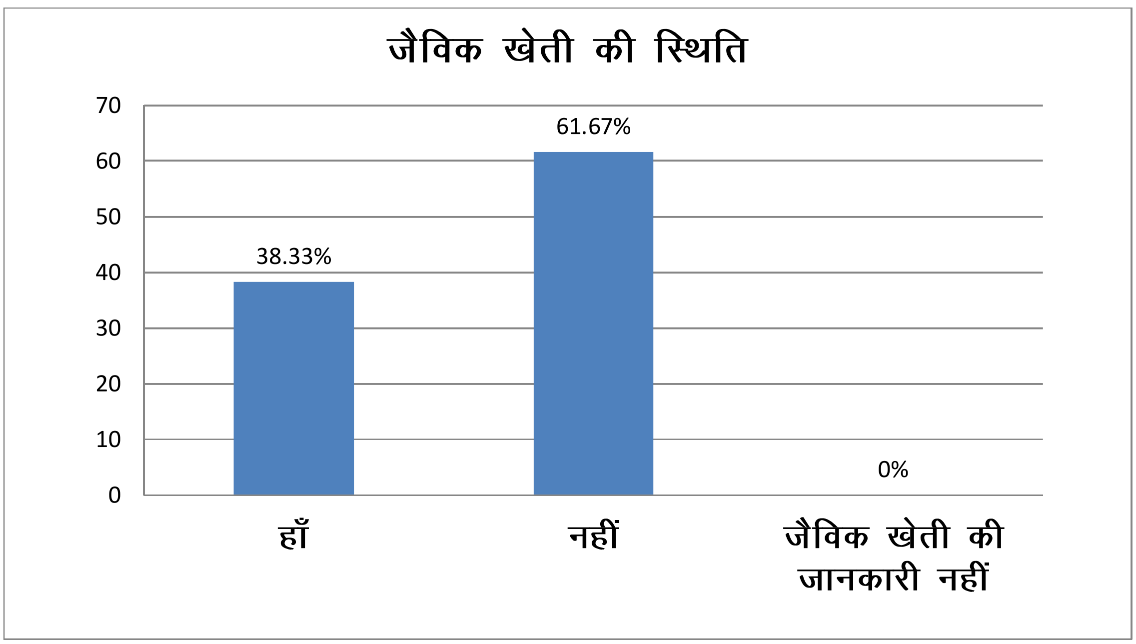

2. हितग्राहियों के द्वारा श्री विधि का उपयोग कर धान उत्पादन करने की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 2: हितग्राहियों के द्वारा श्री विधि का उपयोग कर धान उत्पादन करने की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	धान उत्पादन हेतु श्री विधि का उपयोग करने की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	श्री विधि से उत्पादन करते हैं	12	20
2.	सामान्य विधि का उपयोग करते हैं	39	65
3.	श्री विधि की जानकारी नहीं है	9	15
	योगः—	**60**	**100**

स्त्रोतः प्राथमिक शोध सर्वेक्षण

उपर्युक्त तालिका क्र. 2 एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों केद्वारा धान उत्पादन हेतु श्री विधि का उपयोग करने की स्थिति का विवरण को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक शोध सर्वेक्षण के दौरान कुल 60 में से केवल 12 (20%) हितग्राही धान उत्पादन हेतु श्री विधि का उपयोगकरते पाए गए तथा 39 (65%) हितग्राही धान उत्पादन हेतु सामान्य विधि का उपयोग करते पाए गए जबकि 9 (15%) हितग्राही ऐसे पाये गये जिन्हें श्री विधि से धान उत्पादन की जानकारी नहीं है।

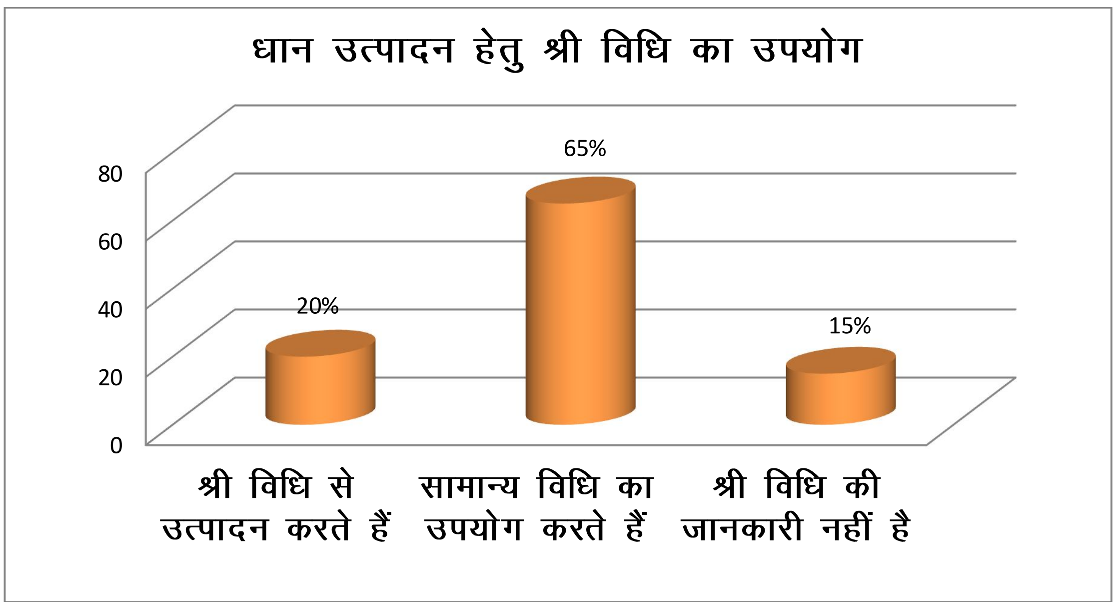

3. हितग्राहियों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की स्थिति का विवरण

तालिका क्र. 3:हितग्राहियों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत वित्तीय लाभ की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	लाभ मिला है	32	53.33
2.	लाभ नहीं मिला है	18	30.00
3.	योजना की जानकारी नहीं है	10	16.67
	योगः–	**60**	**100**

स्त्रोतः प्राथमिक शोध सर्वेक्षण

उपर्युक्त तालिका क्र. 3 एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत वित्तीय लाभ की स्थितिका विवरण को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक शोध सर्वेक्षण के दौरान कुल 60 में से 32 (53.33%) हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है तथा 18 (30%) हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है जबकि 10 (16.67%) हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है।

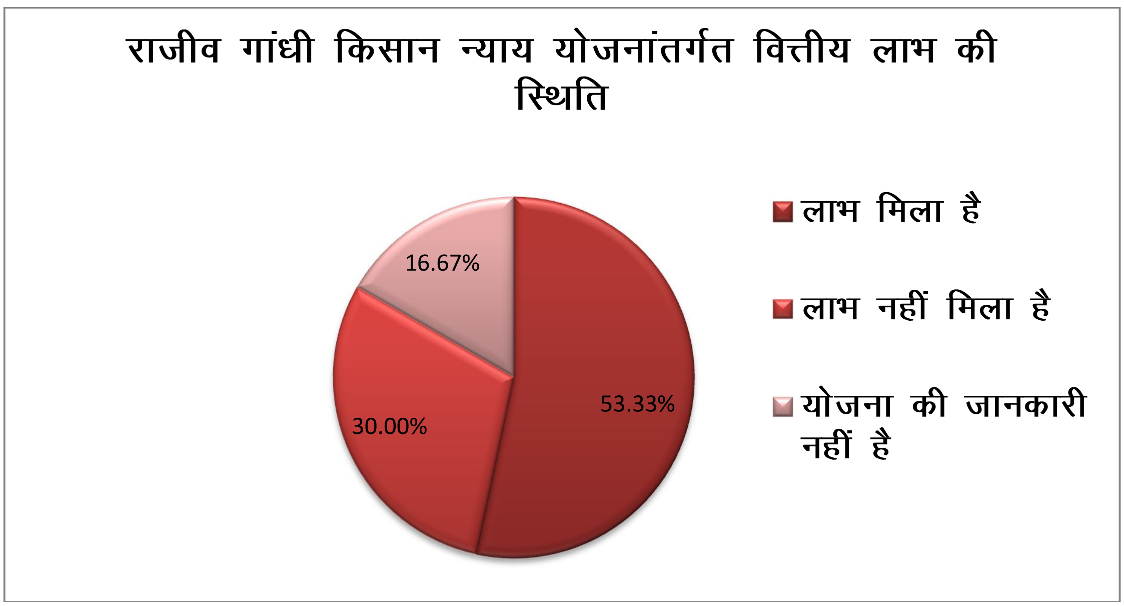

निष्कर्ष

वस्तुतः अब कृषि में कुछ नवाचारी प्रयास करने होंगे तथा परंपरागत कृषि नीति से आगे बढ़ना होगा। ऐतिहासिक विकासक्रम को देखें तो एक समय था जब भारत को अनाज का आयात करना पड़ता था और इससे उबरने के लिए 'हरित क्रांति' जैसे नवाचार प्रयोग में लाए गए। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ और देश अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि चूँकि उस समय उत्पादन बढ़ाने की जरूरत थी इसलिए उत्पादन आधारित प्रयास ही अपनाए गए। जबकि अब देश इस अवस्था को पार कर चुका है तो जरूरत है इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल नीति तैयार हो। आज दिक्कत उत्पादन की नहीं बल्कि इस क्षेत्र को लाभदायक बनाने की है।

शोध सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों से चर्चा करने पर जैविक खेती नहीं करने वाले 37 (61.67%) हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें पता है कि जैविक खेती से प्राप्त उत्पादन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है लेकिन इससे उत्पादन की मात्रा कम होने के कारण वे वर्तमान में कृषि कार्य हेतु रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित किए गए सुराजी गाँव योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों के कारण सभी हितग्राहियों को जैविक खेती के बारे में जानकारी होना पाया गया।

शोध सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों से चर्चा करने पर श्री विधि से धान उत्पादन करने वाले 12 (20%) हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें इस विधि के बारे में जानकारी कृषि विभाग के मैदानी अमलों और एनआरएलएम योजना के कृषि मित्रों के सीआरपी चक्र के माध्यम से हुई है तथा इससे धान का उत्पादन भी बढ़ा है तथा श्री विधि का उपयोग नहीं करने वाले 9 (15%) हितग्राहियों ने बताया कि उचित जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने इस विधि का प्रयोग नहीं किया है।

शोध सर्वेक्षण के दौरान कुल 60 में से 32 (53.33%) लाभान्वित हितग्राहियों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में जानकारी कृषि विभाग के मैदानी अमलों, विज्ञापनों आदि के माध्यम से हुई है तथा 18 (30%) हितग्राहियों की योजना हेतु पात्रता, लंबित आवेदन आदि कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल सका है।

सुझाव

- जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु जमीन स्तर पर प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। साथ ही कृषकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी हो कि भविष्य का प्रत्येक उत्पादन जैविक हो ताकि रसायनों का उपयोग न्यूनतम हो सके।
- श्री विधि से धान की उत्पादकता में वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रयासों तथा इस विधि से होने वाले लाभ के बारे में सभी कृषकों को प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि संतुलित कृषि व्यय के साथ उपज में वृद्धि हो सके।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कोविड–19 महामारी के दौरान बहुत से किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इस क्षेत्र में भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके।

संदर्भ सूची

1. Singh, R.B., Verma, S.C. and Babu, G.(2002) "Role of Intitutional Credit in context to Agriculture Development in District Allahabad," Agriculture Economics Research Review, Vol. 57, No. 32, pp.567
2. Somal, B. (2002). "Institutional Credit Flow to West Bengal Agriculture: Revisited", Indian Journal of Agricultrue Economics, Vol. 57, No. 3, pp. 546-559.
3. Satish, P. (2002). "Rural Finance: Role of State and State owned Institutions", Economics and Political Weekly, Vol. 39. No.13, pp. 1321-1330
4. Chavan, P. (2003) "Money Lenders Positive Image", Economics and Political Weekly, Vol. 38 No. 50, pp5301-2303
5. सी. आर. कोठारी, रिसर्च मेथडोलॉजी, न्यू एज इंटरनेशलन पब्लिकेशन
6. एस. एम. शुक्ला, प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिक्स, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
7. डॉ. जयप्रकाश शुक्ला, कृषि अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
8. कृष्ण कुमार उमड़िया, कृषि विकास की समस्या, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

9. कृषि दर्शिका 2023 निदेशालय विस्तार सेवायें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग) 492012 पृष्ठ क्र. 160–162
10. कुरूक्षेत्र अंक 8, जून 2021 पृष्ठ क्र. 12–13
11. एस. पी. सिंह, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं और प्रबन्ध, संस्करण– 2003
12. दत्ता एवं सुन्दरम् भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्करण 2009
13. पन्त डी0 सी0, भारत में ग्रामीण विकास, संस्करण– 2015
14. डॉ. वाय.सी. सिनेरिया, भारत में कृषि प्रसार एवं शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
15. जेपी मिश्रा, कृषि अर्थव्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
16. छत्तीसगढ़–एक दृष्टि में, 2022, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. शासन नवा रायपुर छ.ग.
17. आर्थिक सर्वेक्षण, 2023–24 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. शासन नवा रायपुर छ.ग.